राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 2020/2022

डॉ. गुलझारी लाल मीणा

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	20.06.2022
आदेश की दिनांक	:	09.05.2023

उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने अपनी इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक आचार्य के पद पर 8—7—1996 को हुई ततपश्चात सह आचार्य के पद पर 31—3—2006 को आचार्य के पद पर 1—4—2011 को और अंतिम रूप से वरिष्ठ आचार्य के पद पर 1—4—2013 को पदोन्नत किया। उक्त पद पर अपीलार्थी वर्तमान में कार्य कर रहा है। उनका आगे तर्क है कि प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के पद हेतु राजस्थान के राजकीय मेडिकल कॉलेज बीकानेर,कोटा एवं उदयपुर के पद पर नियुक्ति आवेदन पत्र विज्ञप्ति क्रमांक प.1(87)एमई/ग्रुप—1/90 दिनांक 17—7—1995 के दिशा निर्देशों एवं MCI(NMC) के नियमों के क्रम में आमंत्रित किये गये, जिसमें चिकित्सक की अधिकतम आयु 62 वर्ष तक मांगी गयी। उक्त विज्ञप्ति में जो न्यूनतम योग्यता व अन्य शर्तें थी उन्हें अपीलार्थी पूर्ण करता था। उपरोक्त विज्ञप्ति के आधार पर अपीलार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2019 को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी को साक्षात्कार में सफल घोषित होने पर आदेश दिनांक 03—03—2020 के द्वारा मेडिकल कॉलेज बीकानेर में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के पद पर लगाया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 03—03—2020 को ही मेडिकल कॉलेज बीकानेर में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के पद का कार्यग्रहण कर लिया ततपश्चात एक दिन बाद ही 4—3—2020 को अपीलार्थी का स्थानान्तरण

वरिष्ठ आचार्य रेडियोडायग्नोसिस व प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज बीकानेर से वरिष्ठ आचार्य रेडियोडायग्नोसिस व प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज जोधपुर कर दिया गया। जिसकी पालना में दिनांक 13–3–2020 को कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी 18 अप्रेल, 2021 तक उक्त पद पर कार्य करता रहा। ततपश्चात आदेश दिनांक 18 अप्रैल, 2021 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर में कर दिया गया और 18–4–2021 को एक अन्य आदेश द्वारा डॉ. शैतान सिंह राठौड को कार्यव्यवस्थार्थ अपीलार्थी के स्थान पर प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकमल कॉलेज जोधपुर लगा दिया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15–6–2021 के द्वारा मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 17–6–2021 को अपना पक्ष रखने हेतु मुख्य सचिव कार्यालय में बुलाया गया। आदेश दिनांक 5–7–2021 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम–16 के तहत विभागीय जांच प्रस्तावित होने के फलस्वरूप विभागीय परिपत्र दिनांक 20–11–2020 (वास्तव में 20–10–2020) के प्रावधानों के तहत चयन समिति की अनुशंषा पर अपीलार्थी को प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के पद पर किया गया चयन निरस्त कर दिया गया और उसे एक 5–7–2021 के आदेश द्वारा उसके मूल पद वरिष्ठ आचार्य रेडियोडायग्नोसिस के पद पर मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पदस्थापन कर दिया गया। अपीलार्थी ने उपरोक्त दोनों आदेशों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में चुनौती दी । जिस पर दिनांक 14–7–2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि अपीलार्थी यदि 5–7–2021 की पालना में 19–7–2021 तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो उसके विरूद्ध कोई विपरीत आदेश पारित न करें। दिनांक 29–7–2021 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बैंच जोधपुर ने अपीलार्थी की रिट याचिका संख्या 8791/2021 को अंतिम रूप से सुनकर निर्णय पारित किया और अपीलार्थी के विरूद्ध उपरोक्त आदेश 5–7–2021 को अपास्त कर दिया और यह राज्य सरकार को छूट दी कि वे चाहे तो अपीलार्थी को प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज बीकानेर में लगा सकते है और अपीलार्थी के संबंध में अन्य कार्यवाही करने के लिए विभाग स्वतंत्र है। अपीलार्थी ने दिनांक 2–8–2021 को माननीय उच्च न्यायालय के प्रार्थना आदेश की पालना में अपनी प्रार्थना प्रस्तुत कर दी लेकिन विभाग द्वारा अपीलार्थी को प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के पद पर पदस्थापन नहीं किया गया केवल मात्र उसे जो 5–7–2021 के आदेश को विड्रो कर एक अन्य आदेश दिनांक 5–8–2021

द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में कर लिया गया था लेकिन 5–7–2021 के आदेश जिसके द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम–16 के तहत विभागीय जांच के प्रस्तावित आदेश एवं प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के पद पर चयन को निरस्त किया गया था उक्त आदेशों को वापिस नहीं लिया जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की कार्यवाही को उचित नहीं मानते हुए उक्त आदेशों को अपास्त कर दिया था। विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29–7–2021 की पूर्ण पालना नहीं की गई। उसके विपरीत 5–8–2021 के नोटिस द्वारा अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में दर्शाते हुए एक नोटिस जारी किया गया। दिनांक 23–3–2021 को गठित की गई जांच समिति जो परिपत्र दिनांक 20–10–2020 के बिन्दु संख्या 11 अपीलार्थी के संबंध में नहीं था फिर भी इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 5–8–2021 का नोटिस दिया गया जबकि उसी जांच के आधार पर पूर्व में अपीलार्थी का दिनांक 5–7–2021 को प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के चयन को समिति द्वारा परिपत्र दिनांक 20–10–2020 के बिन्दु संख्या 11 व 12 के आधार पर निरस्त कर दिया था। 5–8–2021 के नोटिस के साथ अपीलार्थी को तीन सदस्यीय समिति द्वारा जांच की गई उसकी प्रति भी अपीलार्थी को दी गई और 15 दिवस में लिखित जवाब मांगा गया। अपीलार्थी ने जवाब पूर्ण विवरण व संलग्न सहित दिनांक 19–8–2021 को दिए। जो आरोप अपीलार्थी पर लगाए है, वह अनुचित है। समिति की पहले से ही यह मानसिकता थी कि को परिपत्र दिनांक 20–10–2020 के बिन्दू संख्या 11 के अपीलार्थी पर झूठा आरोप लगाकर आरोपित साबित करना है ताकि अपीलार्थी आधार पर दोषी करार देकर अपीलार्थी को इस पद से हटाया जा सके जो पूर्णतया अनुचित था। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 09.12.2021 के द्वारा चयन समिति की अनुशंषा के आधार पर प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के पर किया गया चयन निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 09.12.2021 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है एवं विभागीय जांच के आरोप पत्र को भी अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन अंकित किये गए हैं कि विभागीय परिपत्र दिनांक 20.10.2020 में गंभीर आरोप प्रशासनिक अकुशलता/भ्रष्टाचार में लिप्तता के प्रकरणों में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी में विचार–विमर्श कर जांच में उल्लेखित बिन्दुओं से संतुष्ट होने पर प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के चयन को निरस्त किये जाने का

प्रावधान है। समिति में उल्लेखित विवरण विभाग द्वारा सी. सी. ए. नियम –16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव, विभागीय परिपत्र दिनांक 20.10.2020 के प्रावधान तथा डॉ. मीणा द्वारा सुनवाई में अपने पक्ष में मौखिक रूप से बताये गये बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार विमर्श किया गया। समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में डॉ. मीणा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के साथ–साथ प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के पद पर बने रहने को उचित नहीं माना गया । समिति द्वारा डॉ भीणा के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.10.2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत चयन को निरस्त किये जाने की अनुशंषा की।

3. दोनों पक्षों के विचारों को सुना गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया गया। अपीलार्थी ने प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज व संलग्न चिकित्सालय समुह बीकानेर, कोटा व उदयुपर के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर चयन समिति की अनुशंषा पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 03.03.2020 के द्वारा मेडिकल कॉलेज बीकानेर में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई। इसके पश्चात आदेश दिनांक 04.03.2020 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वरिष्ठ आचार्य, रेडियोडायग्नोसिस व प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में किया गया। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 18.04. 2021 के द्वारा अपीलार्थी को प्रशासनिक कारणों से आदेशों की प्रतिक्षा में रखा गया। अपीलार्थी के संबंध में नियम–16 सीसीए नियम के तहत कार्यवाही का निर्णय लिये जाने का परिपत्र दिनांक 20.10.2020 के तहत उनकों प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के पद पर बने रहने के संबंध में उचित निर्णय हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इसके पश्चात आदेश दिनांक 05.07.2021 के द्वारा अपीलार्थी का प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के पद पर किया गया चयन निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया और अपीलार्थी को अन्य आदेश दिनांक 05.07.2021 के द्वारा मेडिकल कॉलेज बीकानेर में वरिष्ठ आचार्य, रेडियोडायग्नोसिस के पद पर पदस्थापित किये जाने के आदेश भी पारित किये गए। अपीलार्थी ने अपने चयन को निरस्त किये जाने का आदेश व वरिष्ठ आचार्य, रेडियोडायग्नोसिस के पद पर पदस्थापित किये जाने के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 8791/2021 के जरिये चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका को आदेश दिनांक 29.07.2021 के द्वारा निर्णीत किया गया। अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

(28) The writ petition thus, succeeds. The impugned order dated 5.7.2021 is quashed and set aside.

(29) The respodent no. 2 is directed to issue a fresh notice to the petitioner clearly indicating therein the proposed action alongwith a copy of the report of 3 member inquiry commitee. Respodent no. 2 shall give at least 15 days time to petitioner to respond. The petitioner would be permitted to file a written reply, which would be considered by the Commitee (constituded under clause 2 of the circular dated 20-10-2020), while providing him audience.

(30) This court has no doubt that the committee would dispassionately consider the reply and submissions putforth by the petition before passing any order.

4. उपरोक्त मत व्यक्त करते हुए अपीलार्थी के संबंध में पारित आदेश दिनांक 05.07.2021 को निरस्त किया गया और राज्य सरकार को यह छूट दी गई कि वो अगर चाहे तो पुनः अपीलार्थी को प्रधानाचार्य व नियंत्रक के पद पर नियुक्त कर सकती है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को नये सिरे से नोटिस देकर वह 3 सदस्यों की कमेटी की रिपोर्ट उपलब्ध कराकर एवं इसकी जानकारी देने के पश्चात कि अपीलार्थी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जानी है, अपीलार्थी से जवाब–तलब करेंगे। जिस हेतु 15 दिवस का समय दिया जायेगा। अपीलार्थी लिखित में जवाब प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। उसे सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात कमेटी द्वारा उत्तर व कथनों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के संबंध में उचित आदेश पारित करेगा।

5. अपीलार्थी द्वारा जो अभिकथन किये गए हैं, उससे प्रकट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात अपीलार्थी को नोटिस दिनांक 05.08.2021 जारी किया गया था और अपीलार्थी ने उक्त नोटिस का जवाब दिनांक 19.08.2021 (अनुलग्नक–ए40) प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात दिनांक 09.11.2021 को बैठक की सूचना भी अपीलार्थी को भेजी गई थी। इसके पश्चात दिनांक 09.11.2021 को आलौच्य आदेश पारित किया गया। आलौच्य आदेश से प्रकट होता है कि नोटिस प्रेषित कर अपीलार्थी को 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के लिए दिया गया था और अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया था। समिति द्वारा सीसीए नियम–16 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव, विभागीय परिपत्र दिनांक 20.10.2020, अपीलार्थी द्वारा दिये गए जवाब तथा सुनवाई में अपने पक्षों पर बताये गए बिन्दूओं पर विचार किया। समिति द्वारा माना गया कि अपीलार्थी

के विरूद्ध सीसीए नियम–16 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का प्रकरण बनता है। अनुशासनिक कार्यवाही के साथ–साथ प्रधानाचार्य व नियंत्रक के पद पर बने रहने को उचित नहीं माना। अतः हमारे मत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिनांक 29.07.2021 के जरिये दिये थे, उसकी पालना करते हुए कार्यवाही की है। समिति द्वारा अपीलार्थी को अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ–साथ प्रधानाचार्य व नियंत्रक के पद पर बना रहना उचित नहीं माना है, जो सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद माना गया है। समिति द्वारा अपने विवेक से लिये गए निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार प्रकट नहीं होता है। समिति द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया गया है तथा यह अधिकरण उस निर्णय को बिना किसी उचित आधार के निरस्त करना उचित नहीं मानती है। अपीलार्थी ने इस अपील में उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के तहत आरोप परिपत्र, आरोप विवरण, ज्ञापन को भी चुनौती दी है। इस अधिकरण के मत में जिन आधारों पर ज्ञापन व चार्जशीट दी गई है, व उन तथ्यों पर प्रारंभिक जांच की जा चूकी है एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है। ऐसे में आरोप परिपत्र, आरोप विवरण, ज्ञापन में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6. परिणामस्परूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा) सदस्य	(अनन्त भंडारी) सदस्य (न्यायिक)